निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण 1937 (श0)

संख्या 49 पटना, बुधवार, ——————

9 दिसम्बर 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	2-4
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	5-5
पूरक-क	6-6

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सं० बाढ़(मो0)सिं0-42/2004-1909

जल संसाधन विभाग

संकल्प

29 जुलाई 2015

विषय:- केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो के अनुवीक्षण एवं गुणवत्ता की समीक्षा हेतु विशेष जांच दल का गठन ।

राज्य की विभिन्न नदियों पर केन्द्रीय सहायता से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत व्यापक पैमाने पर कटाव निरोधक/ बाढ़ सुरक्षात्मक/गैप क्लोजर/ग्राम एवं शहर सुरक्षात्मक/उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कार्यान्वित कराये जा रहे है । बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के विरूद्व योजना राशि का 75 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त होना है ।

2. बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो की उपयोगिता मुख्यत: बाढ़ के पूर्व ससमय सही ढंग से कार्यान्वयन पर निर्भर करती है । अत: यह आवश्यक हो जाता है कि इन कार्यो की गुणवत्ता अच्छी हो तथा वे निर्धारित अवधि के अन्दर/ पूर्व अवश्य पूर्ण कर लिया जाएँ।

3. कार्यो की गुणवत्ता एंव विशिष्टि को बनाए रखने के साथ-साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप कार्यो की समानुपातिक प्रगति की समीक्षा आवश्यक है । इसके लिए आवश्यक है कि कार्यो के कार्यान्वयन अवधि में इनका अनुवीक्षण क्षेत्र में जाकर किया जाए तथा विभाग के पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए ।

4. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वयन कराई जा रही योजना के विरूद्व केन्द्रीय सहायता विमुक्ति हेतु यह आवश्यक है कि योजनाओं का Concurrent evaluation विभिन्न चरणों में किया जाय ताकि इनके गुणवत्ता एंव विशिष्टि पर नियंत्रण रखा जा सके । तत्संबंधित प्रतिवेदन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को समर्पित किया जाना है ।

5. उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के बाढ़ प्रबोधन से संबंधित मुख्य अभियन्ता के प्रक्षेत्रों को पांच भागों में बॉटते हुए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष जांच दल का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

विशेष जांच दल सं0	प्रक्षेत्र का नाम	अध्यक्ष	समन्वय पदाधिकारी
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर	ई0 जुगल किशोर सिंह, सेवा निवृत मुख्य अभियन्ता	संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक अभियन्ता स्तर के पदाधिकारी
2	मुख्य अभियन्ता, बीरपुर/पूर्णिया	ई0 महेश प्रसाद ठाकुर, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	
3	मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर	ई0 ज्वाला प्रसाद, सेवा निवृत मुख्य अभियन्ता	
4	मुख्य अभियन्ता, भागलपुर	ई0 सागर प्रसाद, सेवा निवृत मुख्य अभियन्ता	

6. विशेष जांच दल के लिए निम्नांकित दायित्व होगें:-

(क) विभिन्न स्थलों पर कटाव निरोधक/निवृत रेखा/ग्राम एवं शहर सुरक्षात्मक/ गैप क्लोजर/ उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आदि बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो की गुणवत्ता एवं विशिष्टि की समीक्षा। ।

(ख) निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कार्यो की प्रगति एंव बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्रियों की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा ।

(ग) यदि कार्यो की प्रगति एंव सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नही हो रही हो तो उनके कारणों की जांच कर इसे दूर करने का सुझाव देगी । सुझाव के बाद भी क्रियान्वयन/ अनुपालन नही होता है तो दायित्व का निर्धारण करेगें ।

(घ) कार्य स्थल पर लगाये जा रहे सामग्रियों यथा ई.सी.बैग, नायलन क्रेट, बी.ए. वायर एवं जियों टेक्सटाइल्स फैब्रिक फिल्टर की विशिष्टि जांच कर विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से उल्लेख करना।

(ड़) विशेष जांच दल प्रगति में आनेवाले अड़चनों के समाधान हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता उनके अधीनस्थ पदाधिकारी/प्रमंडल पदाधिकारी से विचार-विमर्श कर यथासंभव इसका समाधान करेगें । साथ ही साथ जांच दल सरकार का भी ध्यान अपने प्रतिवेदनों के माध्यम से आवश्यक सुझाव देते हुए आकृष्ट करेंगे ।

(च) विशेष जांच दल, निरीक्षण तिथि तक केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित कराई जा रही योजनाओं का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगें तथा इसकी प्रति गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को भी देगें । विशेष रूप से प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति, मापी की विहित प्रक्रियानुसार कार्यपालक अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता द्वारा जांच एवं किये गये कार्यो के नियमानुसार भुगतान की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी जांच दल देगें ।

(छ) विशेष जांच दल प्रत्येक स्थल निरीक्षण के समय कार्य का फोटोग्राफी, गुण नियंत्रण संबंधी सैम्पल टेस्ट प्रतिवेदन भी समर्पित करेगें ।

(च) विशेष जांच दल से अनुमोदित रेखांकण पर कार्य प्रारंभ किये जायेगें, साथ ही साथ अधिकतम कटाव प्रभावी लंबाई का निर्धारण जांच दल की देख-रेख में किया जायेगा ।

अनुवीक्षण दलों का स्थल भ्रमण कार्यक्रम		
दौरा संख्या	समर्पण की तिथि	प्रतिवेदन समर्पिण की तिथि
प्रथम्	15.11.15 से 19.11.15	22.11.2015
द्वितीय	15.12.15 से 19.12.15	22.12.2015
तृतीय	15.01.16 से 19.01.16	22.01.2016
चतुर्थ	15.02.16 से 19.02.16	22.02.2016
पंचम्	15.03.16 से 19.03.16	22.03.2016

7. वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित सुरक्षात्मक कार्यो की सूची मुख्य अभियन्ता प्रक्षेत्रावार संलग्न है ।

8. उपरोक्त अनुवीक्षण एवं निरीक्षण का अर्थ यह नही है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता की जिम्मेवारी में कोई कमी होगी । क्षेत्रीय पदाधिकारी नियमानुसार अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक स्थल का निरीक्षण कर कार्यरत पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करेगें। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति अभियंता प्रमुख एंव अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को निश्चित रूप से कार्यक्रम के अनुसार भेजा करेगें । प्रत्येक निरीक्षण के समय स्थल पंजी में निरीक्षण की तिथि तथा निदेश अवश्य अंकित किये जाय तथा टेस्ट चेक का परिणाम अंकित करते हुए लेईग रजिस्टर पर जांच की प्रविष्टि अंकित की जाय।

9. कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता स्थल पर मौजूद रहेगें तथा स्थल पंजी भी स्थल पर अवश्य रखेगें। कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करेगें कि जांच दल का भ्रमण प्रारंभ होने की तिथि तक सभी कराये गये कार्यो की मापी, मापीपुस्तिका में निश्चित रूप से अंकित कर लिया जाय,

एवं आपूरित सामग्रियों के लिए कार्य स्थल पर संधारित पंजी को भी अद्यतन कर रखी जाय, तथा जांच दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । निरीक्षण पंजी पर दल के प्रधान का हस्ताक्षर अवश्य प्राप्त किया जाय । ऐसा नही करने पर संबंधित पदाधिकारी के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

10. प्रत्येक जांच दल के लिए एक सेवा निवृत अभियन्ता प्रमुख/ मुख्य अभियन्ता/ वरीय अधीक्षण अभियन्ता को दल के अध्यक्ष के रूप में मनोनित किया गया है । इन मनोनित सेवा निवृत अभियन्ता प्रमुख/ मुख्य अभियन्ताओं/ अधीक्षण अभियन्ताओं को प्रत्येक दौरा के लिए मानदेय के रूप में 4000.00 (चार हजार) रूपये मात्र भुगतान किया जायेगा । अध्यक्ष को उनके निवास स्थान से स्थल तक भ्रमण/ ठहराव एवं सामान्य आवासन की व्यवस्था सरकारी खर्च पर संबंधित मुख्य अभियन्ता, किसी प्रमंडल के माध्यम से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें एवं इसकी सूचना मुख्यालय को भी देगें ।

11. मानदेय भुगतान संबंधित परिक्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित कराई जा रही योजना के o-misc में विकलित होगा । मानदेय भुगतान हेतु मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से परिक्षेत्राधीन संबंधित कार्यपालक अभियनताओं को निदेशित करेगें ।

12. प्रत्येक निरीक्षण दल के निर्धारित कार्य का पूर्ण सर्वेक्षण दौरा सामान्य: एक दौरा माना जायेगा एवं आवश्यकतानुसार विभागीय निदेश पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकेगा ।

यह आदेश तुरंत लागू होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव (अभि0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1558—I, Alok kumar, S/o Prabhunath Tiwary, Bhadraghat, Idgah Road, Post-Gulzarbagh, Patna, Vide Affidavit no. 7649, Dated 10.11.2015 Shall be known as Alok Tiwary.

ALOK KUMAR.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण dk;l foHkkx

---

vf/kl puk
5 uoEcj 2015

सं0 3/ अ0प्र0–1–495/12–3805—श्री महेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा के विरूद्ध जल संसाधन विभाग अंतर्गत पदस्थापन काल में मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंडान्तर्गत ड्रेनेज श्रीनगर पोखरीया के नजदीक पुरैनी कुंजर टोली के समीप परमानन्दपुर पंचायत के ननपट्टी से पूरब एवं लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के कच्ची सड़क में निर्मित पुलों के गुणवत्ता में कमी, कुंजरटोली के समीप पुल क्षतिग्रस्त होने, सरकारी राशि के नुकसान करने आदि कतिपय आरोपों की जाँच उड़दस्ता, जल संसाधन विभाग के द्वारा की गयी।

2. उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग इस विभाग के माध्यम से की गयी। श्री सिंह को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु इस विभाग के पत्रांक 18712 अनु0 दिनांक 30.11.2012 द्वारा निदेश दिया गया। श्री सिंह के पत्रांक शून्य दिनांक 15.01.2013 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा जल संसाधन विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध उक्त आरोप प्रमाणित पाए गये। प्रमाणित आरोपों के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा श्री महेश प्रसाद सिंह के विरूद्ध ''दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' के दण्ड अधिरोपण पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया। अभियंताओं के कैडर विभाजन के फलस्वरूप श्री सिंह के विरूद्ध उक्त शास्ति अधिरोपित करने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा इस विभाग से अनुरोध किया गया।

3. अतएव उक्त आलोक में श्री महेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा के विरूद्ध प्रमाणित उक्त आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका 14(v) के तहत ^^nk oru of) ij vlp;kRed iHkko l jkd^^ की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
कमलेश चौधरी, अभियंता प्रमुख।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in